

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 12.03.25  
अप्रार्थीगण

रीडर/2025/1176

प्रार्थी

बनाम

जोगाराम पुत्र  
गोरधनराम जाति सुनार  
निवासी लुणाड़ा तहसील  
बाटाडु जिला बाड़मेर।


1 खीयाराम पुत्र गोरधनराम वगैराह  
जातियान जाट निवासी लुणाड़ा  
तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-636/2024

दिनांक- 10/03/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लुणाड़ा पटवार क्षेत्र लुणाड़ा तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर  
के खसरा संख्या कमश 1362/793, 1365/793, 1546/793, 788 व 792 रकबा कमश 10.  
0640, 6.3911, 0.1618, 0.0243 व 0.0485 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित  
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त  
नेखमबन्दी कार्यवाही करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए  
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व  
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में  
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र  
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



( वीरमा राम )

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 12.03.25

क्रमांक :- रीडर/2025/1177-1180

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी लुणाड़ा तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जोगाराम पुत्र गोरधनराम जाति सुनार निवासी लुणाड़ा तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण खीयाराम पुत्र गोरधनराम वगैराह जातियान जाट निवासी लुणाड़ा तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर